22.04.17

-राज्य द्वारा एडीपीओ। प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी जितेन्द्र को गिरफतारी वारण्ट जारी किए जाने के उपरांत अनिवार्हित है। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक 28.09.15 से अनुपस्थित है और उसके विरुद्ध जारी गिरफतारी वारण्ट उस पर तामील नहीं हो रहे हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि आरोपी स्वयं को वारण्ट निष्पादन से बचने के लिए छिपाये हुए हैं अथवा फरार हो गया है। अतः अनुपस्थित आरोपी के विरुद्ध धारा 299 द.प्र.स. की कार्यवाही की जाती है। आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफतारी वारण्ट जारी हो।

प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / – (गोपेश गर्ग) जे.एम.एफ.सी.,गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

ATTENDED OF THE PROPERTY OF TH